



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



15 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 20 राँची, शुक्रवार,

5 जनवरी, 2024 (ई०)

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,

संकल्प

4 जनवरी, 2024

विषय:- सैनिक कोटा के अधीन राज्य के विभिन्न सरकारी/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (महिला सहित) में नामांकन हेतु रिक्त सीटों को भरने के संबंध में।

संकल्प- 5/प्रशि०(प्रशि०)-01/2023-15--राज्य के विभिन्न सरकारी/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (महिला सहित) में झारखण्ड राज्य निवासी भूतपूर्व सैनिकों/सेवारत/सेवानिवृत्त/दिवंगत सैनिक कर्मचारियों के आश्रित पुत्रों/आश्रित अविवाहित पुत्रियों/झारखण्ड राज्य के निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुल स्वीकृत सीटों में प्रत्येक व्यवसाय में एक सीट सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ)के अन्तर्गत आरक्षित है।

सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ)(किसी भी वर्ग) के अन्तर्गत आरक्षित सीटों के लिए योग्य पाये गए अभ्यर्थियों द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन हेतु कुल प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित मेधासूची के अनुसार नामांकन हेतु चयन किया जाता है। उपर्युक्त योग्य छात्रों के अभाव में ये सीटें खाली रहती हैं।

वर्तमान में सरकारी/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित सभी व्यवसायों में 01 सीट सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ) (किसी भी वर्ग) के लिए आरक्षित है। योग्य अभ्यर्थियों के अभाव में सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ) के अन्तर्गत आरक्षित काफी सीटें खाली रह जाती हैं। जिस कारण संस्थान के संसाधनों का संपूर्ण उपयोग नहीं हो पाता है।

अतः प्रशिक्षण हित में सरकारी/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ) के अन्तर्गत नामांकन हेतु वर्तमान प्रक्रिया में निम्नवत् संशोधन/प्रावधान किया जाता है।

- (i) सैनिक कर्मचारी कोटा के अधीन राज्य के सरकारी/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला सहित) में नामांकन झारखण्ड राज्य निवासी भूतपूर्व सैनिकों/सेवारत/सेवानिवृत्त/दिवंगत सैनिक कर्मचारियों के आश्रित पुत्रों/आश्रित अविवाहित पुत्रियों/झारखण्ड राज्य के निवासी भूतपूर्व सैनिकों का होगा बशर्ते मेधा सूची में उनका नाम हो।
- (ii) कार्यरत सैनिकों के मामले में उनके सैनिक होने तथा उनके पुत्रपुत्री से संबंधित प्रमाण पत्र उनके नियंत्री पदाधिकारी से तथा भूतपूर्व सैनिकों के मामलों में उनके भूतपूर्व सैनिक होने तथा उनके पुत्रपुत्री होने का प्रमाण पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- (iii) प्रत्येक संस्थानों के प्रत्येक व्यवसाय में DGT भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सीट के अन्तर्गत एक सीट सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ)(किसी भी वर्ग) के लिए आरक्षित होगा। सैनिक कोटा से चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/अनारक्षित कोटे से आते हों, उसी कोटि में उनकी गिनती की जायेगी।
- (iv) झारखण्ड में (शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन) आरक्षण संकल्प जापांक-14/आ0नी0-04-02/2019 का0-1434 दिनांक 15.02.2019 एवं संकल्प जापांक-7/आर0(जि0आ0से0)-33/2002 का0-2020 दिनांक 09.04.2010 तथा समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियमों के आलोक में नामांकन आदि की कार्रवाई की जाती रहेगी।
- (v) सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ) सीटों पर नामांकन झारखण्ड राज्य निवासी भूतपूर्व सैनिकों/सेवारत/सेवानिवृत्त/दिवंगत सैनिक कर्मचारियों के आश्रित पुत्रों/आश्रित अविवाहित पुत्रियों/झारखण्ड राज्य के निवासी भूतपूर्व सैनिकों को दी जायेगी। यदि फिर भी सैनिक कर्मचारी कोटा (SMQ) की सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो उन सीटों को मेधा सूची (किसी भी वर्ग) के आधार पर भरा जायेगा।
- (vi) उपर्युक्त प्रावधान सत्र 2024-25 एवं आगामी के सत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन से लागू होगा।

संकल्प पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,

राजेश कुमार शर्मा,

सरकार के सचिव

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग,

झारखण्ड, राँची।
